न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

तहसीलदार धोद बनाम अचरज कंवर

किस्म मुकदमा 131,132 मु.नं. 510 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र
29/5/2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया। समग्र पत्रावली आदि का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज–6/2003/पार्ट–04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज–6/ 2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज–6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 की पालना में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2062 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 2, 4, 141, 142, 140 में से प्रा.पत्र धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधि. 1956 बाबत् रास्ता में निहित प्रावधानानुसार प्रस्तावित रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्थायी अंकन हेतु प्रस्ताव मय राजस्व अभिलेख एवं नजरी नक्शा रिपोर्ट पत्रादि के साथ प्राप्त हुआ।

सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेजात आदि का अवलोकन करने से यह ज्ञात हुआ कि उक्त प्रस्ताव में पटवार हल्का रिपोर्ट के अनुसार खसरा सं. 141 के सहखातेदारों ने हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रस्तावित/प्रचलित सार्वजनिक रास्ता को संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दिखाया गया है। उक्त प्रस्ताव में भू.अभिलेख निरीक्षक वृत्त धोद की रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक रिपोर्ट पटवारी सार्वजनिक रास्ता जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है। रास्ता हेतु रिकॉर्ड में अमल किये जाने बाबत प्रस्तावित है तथा मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 2, 4, 141, 142, 140 में से प्रस्तावित रकबा सार्वजनिक रास्ता के रूप में से दर्ज किये जाने बाबत अभिशंषा की है।

सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तावित रास्ते के संबंध में सहमति से शेष सहखातेदारानों अचरजकंवर पुत्री विजय सिंह, ओमकंवर पुत्री विजयसिंह, जीवणसिंह पुत्र विजयसिंह, सुरज्ञानकंवर पुत्री विजयसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सरवड़ी तहसील धोद ज़िला सीकर को अपना कथन/पक्ष/साक्ष्य पेश करने बाबत नोटिसेस जारी किये गये। जिसके संबंध में उक्त अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने उपस्थित होकर व बजरंग लाल पुत्र रामबक्साराम जाति जाट निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर सहित जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि "विवादित आराजी खसरा सं. 141 रकबा 4.7900 हेक्टेयर वाके ग्राम बोसाना के जवाबदाता व ओमप्रकाश सहखातेदार काश्तकार है। भूमि खसरा सं. 142 व 140 वाके ग्राम बोसाना के खातेदारान ने पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से साज कर व पार्टीबाजी के कारण विरूद्ध कानून खसरा सं. 141 की पूर्वी सींव के सहारे–सहारे कोई रास्ता न होते हुए भी व धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार उक्त रास्ता कायम करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। धारा 131, 132 एल.आर.एक्ट, 1956 के प्रावधान जहाँ एक गाँव से अन्य गाँव कस्बा जोड़ने वाले आम रास्ते को ही दर्ज करवाने के प्रावधान है। जहाँ खेतों के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

किस्म मुकदमा .... मु.नं. ....

दिनांक	आज्ञा - पत्र
	व्यक्तिगत रास्ते की माँग है, वहा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251(ए) में रास्ता माँगा जा सकता है व बदले में रास्ते की भूमि दी जा सकती है। यहां प्रस्तुत प्रकरण में जवाबदाता की भूमि खसरा सं. 141 की पूर्वी सींव के सहारे से कोई रास्ता प्रचलित नहीं रहा है व जब खसरा सं. 142 की पश्चिमी सीमा खसरा सं. 141 की पूर्वी सींव के लगती हुई है तो खसरा सं. 142 के लिए खसरा सं. 141 में से उत्तरी तरफ से चलकर खसरा सं. 141 के मध्य तक सर्वथा गलत रास्ता प्रस्तावित किया है, जो मौके पर कभी नहीं रहा। भूमि खसरा सं. 2 व 4 ग्राम बोसाना मूर्ति मन्दिर की भूमि है। मूर्ति मन्दिर नाबालिग है, जिसकी खातेदारी भूमि में से रकबा कम कर कानून रास्ता कायम नहीं किया जा सकता आवेदन विधिक रूप से कानूनन चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी तहसीलदार महोदय ने आवेदन निजी खातेदारान को फायदा पहुँचाने की गर्ज से प्रस्तुत किया है, जो गाँवों का सार्वजनिक रास्ता न होने से भी कानूनन चलने योग्य न होने से निरस्त किया जाने योग्य है। भूमि खसरा सं. 140, 142 के खातेदारान ने जबावदातागण के विरूद्ध एक गुट बना रखा है व जवाबदातागण की भूमि खसरा सं. 141 में से पूर्वी सीमा के सहारे-सहारे सर्वथा नया रास्ता कायम करवा कर जवाबदाता की भूमि को रास्ता के रूप में बिना आवश्यकता व मौके के भूमि में से रास्ता कायम कर भूमि खुर्द-बुर्द करने पर तुले हुए है, जिनको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का स्थानीय पार्टीबाजी के कारण खसरा सं. 140, 142 के खातेदारान के प्रभाव में है व रिपोर्ट मौका सही नहीं भेज रहे, जो रिपोर्ट भेजी है वो मिलीभगत से तैयार रिपोर्ट होने से निरस्त की जाने योग्य है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन विधि विरूद्ध व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त फरमाया जावे।"
	प्रकरण में वर्णित अप्रार्थी के जवाब नोटिस, दस्तावेजात प्रतियों तथा प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता प्रस्ताव मय दस्तावेजात आदि का भी गहनता से अवलोकन से स्पष्ट रूप से जाहिर है कि प्रकरण में प्रस्तावित रास्ता के संबंध में भूमिधारी, तहसीलदार, धोद के द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट्स अनुकूल प्रतीत होती है। उक्त आपत्तिकर्तागण/जवाबदातागण अचरजकंवर आदि की ओर से अपने तथ्यों के समर्थन में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य/सबूत/दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है, जिनसे उनके तथ्यों/आपत्ति का पक्ष मजबूत हों। समग्र रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव मय दस्तावेजात से जाहिर है कि राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट-04 दिनांकः 10.08.2016 व प.3 (17) राज-6/2021/पार्ट/91 दिनांकः 30.09.2021 व राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांकः प.4(10) राज-6/2024 जयपुर, दिनांकः 06.09.2024 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखा जाकर ही हस्तगत रास्ता के संबंध में तहसीलदार, धोद से प्राप्त उक्त रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार मुताबिक रास्ता प्रस्तावित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन व खातेदारों को पूर्व से प्रचलित रास्तों को गै.मु. दर्ज किया जाकर खातेदारान को राहत प्रदान करने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... मु.नं. .... वर्ष ....

आज्ञा – पत्र

दिनांक	
	की मंशा रखती है। अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार आपत्तिकर्तागण/जवाबदातागण अचरजकंवर आदि के उक्त जवाब/आपत्ति आवेदन को अस्वीकार किया जाकर हस्तगत रास्ता प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आपत्तिकर्तागण/जवाबदातागण अचरजकंवर आदि के उक्त जवाब/आपत्ति आवेदन को अस्वीकार किया जाता है तथा राज्य सरकार के खातेदारान को रास्ते के संबंध में दिये गये आदेशों व निर्देशों के मध्यनजर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानानुसार तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2062 दिनांक 11.11.2025 के द्वारा राजस्व ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के आराजियात खसरा सं. 2, 4, 141, 142, 140 में से प्रस्तावित रास्ते की भूमि (प्रस्ताव में अंकित रकबे के अनुसार) रास्ता राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तरकरण रास्ता पृथक से दर्ज करते हुए, रास्ता के रकबा की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जावें एवं प्रस्तावित नक्शानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे। गै.मु. रास्ता की भूमि संबंधित खातेदारान् के खाते में ही बनी रहेगी। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/2062 दिनांक 11.11.2025 से प्राप्त हस्तगत रास्ता प्रस्ताव मय नजरी नक्शा रिपोर्ट आदेश का भाग रहेगा, तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद, जिला–सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला–सीकर (राज.)